न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम सांगरिया तहसील फुलियाकलां

प्रकरण संख्या – 30/2021

पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

1 शान्ति देवी पत्नि सुरेश खटीक उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा ————(प्रार्थी)

बनाम

1 गोविन्दपुरी पिता गणपतपुरी गोस्वामी उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
2 ओम राव पिता गणपत राव उम्र वयस्क निवासी बावड़ी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
3 देबीलाल पिता लादू बैरवा उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
4 गोवर्धन पुरी पिता गणपत पुरी गोस्वामी उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
5 रामदेव पुत्र लादु बैरवा उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
6 गोपाल पिता नन्दा कुमावत उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा ————(अप्रार्थीगण)

उपस्थित–

प्रार्थीगण अधिवक्ता– श्री सुनील कुमार शर्मा
श्री हितेश शर्मा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

दिनांक – 26.10.2021

निर्णय

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय में दिनांक 04.03.2021 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम सांगरिया पटवार मण्डल सांगरिया भू.अ.नि. धनोप **तहसील फुलियाकंला** मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 867 के आ.न. 373, 374, 375, 376, 382 किता 5 **रकबा 1.19 हैक्टयर**, भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 08.03.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण अपना पक्ष रखने, हाजिर नही आये। इसी दौरान प्रकरण को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम सांगरिया दिनांक 26.10.2021 के लिए पंजीबद्ध किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम सांगरिया पटवार मण्डल सांगरिया भू.अ. नि. **धनोप तहसील फुलियाकंला** मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 867 के **आ.न. 373, 374, 375, 376, 382 किता 5 रकबा 1.19 हैक्टयर**, भूमि की पत्थरगढ़ी बरामलात पक्षकारान किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक धनोप को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन [illegible] में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढी नहीं की जावें। पक्षकार[illegible] की [illegible] में पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का [illegible] आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] हो।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार [illegible] निर्णय आज दिनांक 26.10.2021 [illegible] प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम सांगरिया के खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by RajKesh Meena
Date: 2021.12.02 11:41:14 IST
Reason: SelfAttested